व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि – गल्लिचा (खादी) द्वारा तारा -स्वयं सहायता समूह



एसएचजी/सीआईजी नाम	::	तारा
वी एफ डी एस नाम	::	हांगो
श्रेणी	::	मॉलिंग
विभाजन	::	किन्नौर

इसके तहत तैयार:



हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जाईका सहायता प्राप्त)

विषयसूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठ
1.	परिचय	3-4
2.	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	5
3.	लाभार्थियों का विवरण	6
4.	गांव का भौगोलिक विवरण:	6-7
5.	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	7
6.	उत्पादन योजना का विवरण	7-8
7.	पंक्ति सामग्री की आवश्यकता और अनुमानित उत्पादन	8-9-10
8.	विपणन/बिक्री का विवरण	10
9.	समूह सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	10
10.	ग्राहकों	11
111	केंद्र का लक्ष्य	11
12.	स्वोट अनालिसिस	11
13.	संभावित चुनौतियों का विवरण और उन्हें कम करने के उपाय	12
14.	मशीनरी, औजार और अन्य उपकरण	12-15
15.	महीने में कुल उत्पादन और बिक्री राशि	15-17
16.	लाभ का बंटवारा	17
17.	समूह में निधि प्रवाह	17
18.	धन का स्रोत और खरीद	17-18
19	प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण / कौशल उन्नयन	18
20	ऋण चुकौती अनुसूची	18
21	निगरानी विधि	18-19
22	टिप्पणी	19
23	समूह सदस्यों की तस्वीरें	19-20- 21
24	ब्याज घर के नियमों की सूची	21-22-

1. परिचय

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है और पश्चिमी हिमालय में स्थित है। इसकी विशेषता कई चोटियों और व्यापक नदी प्रणाली की विशेषता वाले चरम परिदृश्य हैं। हिमाचल प्रदेश को "भगवान की भूमि" के रूप में जाना जाता है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है।

राज्य में विविध पारिस्थितिकी तंत्र, निदयाँ और घाटियाँ हैं, और इसकी आबादी 7.5 मिलियन है और यह शिवालिक की तलहटी से लेकर मध्य पहाड़ियों (MSL से 300 - 6816 मीट्रिक टन ऊपर), ऊँची पहाड़ियों और ऊपरी हिमालय के ठंडे शुष्क क्षेत्रों तक 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह घाटियों में फैला हुआ है, जहाँ से कई बारहमासी निदयाँ बहती हैं। राज्य की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि, बागवानी, जलविद्युत और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं।

हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और किन्नौरी राज्य के बारह प्रशासनिक जिलों में से एक है। किन्नौर जिला तीन प्रशासनिक उप-विभागों में विभाजित है, जैसे कल्पा, निचार (भाबा नगर) और पूह और इसमें छह तहसील हैं। जिले का मुख्यालय रिकांग पियो में स्थित है। यह लाहुल और स्पीति के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन्नौर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6401 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 84121 है।

किन्नौर जिला कभी निषिद्ध क्षेत्र था, लेकिन अब यह साहसी और साहसी साधकों के लिए एक खजाना है। भगवान शिव का निवास किन्नर कैलाश पर्वत कल्पा से देखा जा सकता है। इसके अलावा नाको गांव में प्राचीन काल की झलक मिलती है। निचले किन्नौर में हिंदू धर्म का बहुत प्रभाव है, साथ ही उनकी आस्था प्रणालियों में बौद्ध धर्म के निशान भी हैं, और ऊपरी इलाकों में बौद्ध धर्म का बोलबाला है और दोनों धर्म सद्भाव में मौजूद हैं।.

जिले में 1000 मीटर से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक की घाटियाँ हैं। किन्नौर का अधिकांश क्षेत्र अपनी ऊँचाई के कारण समशीतोष्ण जलवायु वाला है।

सतलुज घाटी और बसपा घाटी का कुछ हिस्सा मानसून की बारिश प्राप्त करता है। किन्नौर जिले के ऊपरी क्षेत्र मुख्य रूप से पूह उपमंडल वर्षा छाया क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों को ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र माना जाता है, जिनकी जलवायु तिब्बत के समान है।पिछले कुछ समय में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और वृक्ष प्रजातियों के अत्यधिक दोहन के कारण किन्नौर जिले के कई हिस्सों में, खास तौर पर पूह उपमंडल में, आवासों का नुकसान/कमी हुई है। किन्नौर जिले के इलाकों में अनियंत्रित चराई, कटाई और ईंधन की लकड़ी के लिए अवैध कटाई, वन क्षेत्रों में इसके क्षरण और पुनर्जनन की विफलता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।

जलवायु की दृष्टि से किन्नौर को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है अर्थात आर्द्र क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र और शुष्क क्षेत्रऔर वीएफडीएस हंगो पूह उपमंडल के शुष्क क्षेत्र में आता है और उपमंडल मुख्यालय पूह से लगभग 47 किलोमीटर दूर है। यह एक सुंदर और बड़ा गांव है और स्थानीय निवासियों ने सेब, बाग उगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा स्थानीय लोग बड़े पैमाने पर मटर और आलू की खेती भी कर रहे हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है।

हांगो गांव के स्थानीय निवासी पारंपरिक रूप से हाथ से बुने हुए पश्मीना ऊन के कपड़े पहनते हैं। हांगो गांव के पारंपरिक परिधानों में ऊनी लंबे कोट और "चूड़ीदार पज़्मा" शामिल हैं, जो स्थानीय खादी से बुने जाते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही इन परिधानों को पहनते हैं और स्थानीय रूप से इन्हें "खोलक" के नाम से जाना जाता है। ये कपड़े भेड़ के ऊन और चिगु के पश्मीना ऊन से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग सदियों से पालते आ रहे हैं।

इसके अतिरिक्त स्थानीय लोग कालीन भी बनाते हैं जो प्रसिद्ध हैं तथा रामपुर और रिकांगपिओ के लवी मेले में बेचे जाते हैं। इस क्षेत्र में हथकरघा उद्योग में उत्कृष्ट शिल्प कौशल की एक लम्बी परम्परा है, इस उद्योग का संचालन क्षेत्र के प्रत्येक घर में आम है तथा इसके उत्पादन के लिए परिवार के अधिकांश सदस्य संयुक्त प्रयास करते हैं।

इस SHG में शामिल महिलाएँ अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही सक्रिय हैं। अब सदस्यों ने IGA के रूप में इस गतिविधि को चुना है तािक वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे कमा सकें और मुश्किल समय के लिए कुछ बचत भी कर सकें। विभिन्न आयु समूहों की 10 महिलाओं के एक समूह ने JICA परियोजना के तहत एक SHG बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया और एक व्यवसाय योजना का मसौदा तैयार करने का फैसला किया जो उन्हें सामूहिक रूप से इस IGA को आगे बढ़ाने और अपनी अतिरिक्त आय बढ़ाने में मदद कर सके।

2.एसएचजी/सीआईजी का विवरण

2.1	एसएचजी/सीआईजी नाम	::	तारा
2.2	वीएफडीएस नाम	::	हांगो
.3	श्रेणी	::	मॉलिंग
3.4	विभाजन	::	किन्नौर
3.5	गाँव	::	हांगो
3.6	अवरोध पैदा करना	::	लियो
3.7	ज़िला	::	किन्नौर
3.8	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	10- महिलाएं
3.9	गठन की तिथि	::	23.07.2022
3.10	बैंक खाता सं.	::	
3.11	बैंक विवरण	::	
3.12	एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	50-(बैठक प्रत्येक माह के प्रथम दिन आयोजित की जाएगी)
3.13	कुल बचत	::	
3.14	कुल अंतर-ऋण	::	
3.15	नकद क्रेडिट सीमा	::	
3.16	पुनर्भुगतान स्थिति	::	

3.लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	नाम(श्री/श्रीमती)	पिता/पति का नाम (श्री)	आयु	वर्ग	जारी संख्या	पद का नाम	आय स्रोत
1	श्रीमती कासांगअंगमो	श्री. अंगचुक छेरिंग	21	अनुसूचित जनजाति	9015248096	(प्रधान)	कृषि
2	श्रीमती शानचन देशेन	श्री रोहित कुमार	21	अनुसूचित जनजाति	7876551032	सचिव	कृषि
3	श्रीमती कमला देवी	श्री मेबर लाल	55	अनुसूचित जनजाति	9015219738	सदस्य	कृषि
4	श्रीमती लक्ष्मी देवी	श्री कमल प्रकाश	39	अनुसूचित जनजाति	9015302395	सदस्य	कृषि
5	श्रीमती सोनम अंगमो	श्री राजू राम	41	अनुसूचित जनजाति	7876786594	सदस्य	कृषि
6	श्रीमती रिन्जिंग डोल्मा	श्री विमल सिंह	34	अनुसूचित जनजाति	9015136706	सदस्य	कृषि
7	श्रीमती ताशी यानचन	श्री.छेरिंग दोरजे	30	अनुसूचित जनजाति	9015237338	सदस्य	कृषि
8	श्रीमती पालसोम	श्री.पंमदमदुल	53	अनुसूचित जनजाति	7876223643	सदस्य	कृषि
9	श्रीमती.योदान	श्री. दोरजे	66	अनुसूचित जनजाति	9015259747	सदस्य	कृषि
10	श्रीमती सुनीता देवी	श्री राजेंद्र सिंह	42	अनुसूचित जनजाति	9015445927	सदस्य	कृषि

3. गांव का भौगोलिक विवरण:

4.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	107किमी
4.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	एन एच 5 से 18 किमी
4.3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	पूह-47किमी,- रिकांगपिओ-107किमी
4.4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	::	पूह-47 किलोमीटर, रिकांगपिओ-107 किलोमीटर और रामपुर-207 किलोमीटर
4.5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	::	रिकांगपिओ- 107 किमी और रामपुर-207 किमी
4.6	उन स्थानों/स्थानों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणित किया जाएगा	::	पूह-47 किलोमीटर, रिकांगपिओ-107 किलोमीटर और रामपुर-207 किलोमीटर

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

1	उत्पाद का नाम	पूर्ण डिजाइन गैलिचा (कालीन)
2	उत्पाद पहचान की विधि	यह गतिविधि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा तय की गई है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह का एक सदस्य पहले से ही यह गतिविधि कर रहा है। स्थानीय बाजार में इसकी भारी मांग है जिससे अतिरिक्त आय बढ़ेगी।
3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	हाँ

5. उत्पादन योजना का विवरण:

समूह के सदस्यों को पूर्ण डिजाइन गैलिचा उत्पादों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद समूह के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा: -

- 1. इसके निर्माण के लिए ताना और बाना (ताना और बाना) का काम वार्पिंग मशीनों द्वारा किया जाएगा। इससे समय और श्रम व्यय की बचत होगी।
- 2. वस्तुओं के निर्माण के लिए समूह के सदस्यों द्वारा श्रम का विभाजन किया जाएगा।
- 3. सदस्य कच्चा माल लाएंगे और बारी-बारी से वस्तुओं का वितरण करेंगे।
- 4. सदस्यों को प्रतिदिन कम से कम 4-5 घंटे काम करना होगा।

6.1	समय लिया	::	पूर्ण डिजाइन गलीचा, कालीन: कम से कम दो सदस्यों द्वारा 4-5 घंटे काम करने के बाद एक पूर्ण डिजाइन गलीचा/कालीन एक महीने में तैयार हो जाएगा। कुर्सी और वाहन के लिए कालीन: विभिन्न प्रकार के पांच सेट सदस्यों द्वारा 4-5 घंटे काम करने के बाद एक महीने में कुर्सी और वाहन के लिए कालीन डिजाइन किए जाएंगे।
6.2	शामिल सदस्यों की संख्या	::	10.
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	रामपुर
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
6.5	उत्पादन चक्र (दिनों में) 4-5 घंटे/दिन कार्य के पश्चात 30 दिन प्रतिदिन।	::	2nos' पूर्ण डिजाइन कालीन कुर्सी के लिए 12 सेट पूर्ण डिजाइन कालीन वाहन और कार के लिए 5 सेट पूर्ण कालीन
6.6	प्रति चक्र आवश्यक श्रमिक (संख्या)	::	05पूर्ण डिजाइन कालीन के लिए सदस्य 03अध्यक्ष पद हेतु सदस्य 0 2सदस्य वाहन और कार के लिए कुल-10 सदस्य

6. कच्चे माल की आवश्यकता और अनुमानित उत्पादन

1. विपणन/बिक्री का विवरण:

7.1	संभावित बाज़ार स्थान/स्थान	::	स्वयं गांव, पूह-47 किमी, रिकांगपिओ-107 किमी और रामपुर-207 किमी
7.2	माँग	::	साल भर।
7.3	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	संपर्क करेंगे
7.4	विपणन रणनीति	::	स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीधे निकटवर्ती गांवों/बाजार से ऑर्डर लेंगे।
7.5	उत्पाद का ब्रांड	::	तारा गैलिचा, कार और कुर्सी परियोजना

2. समूह के सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण:

- प्रबंधन के लिए नियम बनाये जायेंगे।
- समूह के सदस्य आपसी सहमित से कार्यों का वितरण करेंगे।
- आबंटन कार्य की दक्षता एवं क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
- लाभ का वितरण भी कार्य की गुणवत्ता, कौशल और कड़ी मेहनत के आधार पर किया जाएगा।
- मार्केटिंग में अनुभव रखने वाले 04 सदस्य बारी-बारी से मार्केटिंग करेंगे
- प्रधान और सचिव प्रबंधन का मूल्यांकन और निरीक्षण करते रहेंगे।

3. ग्राहकों

हमारे केंद्र के प्राथमिक ग्राहक अधिकतर होंगेयह व्यवसाय हांगो गांव के आसपास के स्थानीय लोगों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन बाद में इस व्यवसाय को आस-पास के छोटे कस्बों तक भी पहुंचाया जा सकता है।

4. केंद्र का लक्ष्य

केंद्र का मुख्य उद्देश्य प्रदान करना हैअद्वितीय आधुनिक और उच्च श्रेणीक्लास गैलिचाविशेष रूप से हांगो गांव के निवासियों और आसपास के गांवों के सभी अन्य निवासियों को सेवा प्रदान करना।

यह केंद्र आने वाले वर्षों में अपने परिचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ सबसे प्रतिष्ठित बुनाई केंद्र बन जाएगा।

5. स्वोट अनालिसिस

ताकत

- कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है
- 🥏 कच्चा माल आस-पास के बाजारों में आसानी से उपलब्ध
- 🗢 विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- 🗢 उचित पैकिंग और परिवहन में आसानी
- 🗢 परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे

- 🗢 उत्पाद का स्वयं-जीवन लंबा है
- कमजोरी
 - 🗢 तकनीकी जानकारी का अभाव
- अवसर
 - 🗦 अच्छे उत्पादों की बढ़ती मांग
- खतरे/जोखिम
 - 🗢 प्रतिस्पर्धी बाजार
 - 🗢 प्रशिक्षण/क्षम्ता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों में प्रतिबद्धता का स्तर

6. संभावित चुनौतियों का विवरण और उन्हें कम करने के उपाय:

क्रमांक	जोखिमों का विवरण	::	जोखिम न्यूनीकरण के उपाय
6.1		::	विपणन उद्देश्य के लिए अतिरिक्त बाजार की
	जिससे बिक्री और आय प्रभावित हो।		खोज की जानी चाहिए।
6.2	उत्पादन की गुणवत्ता में गिरावट के कारण	::	उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, स्वयं
	बिक्री कम हो संकती है।		सहायता समूह के सदस्यों को सख्त दिशानिर्देशों
			का पालन करना होगा।

7. मशीनरी, औजार और अन्य उपकरण

एक	पूंजीगत लागत			
क्रमांक।	मशीनरी का विवरण.	मात्रा	प्रति यूनिट दर	कुल राशि
1.	खादी-42 इंच	10	15000	150,000
2.	कताई मशीन	3	5000	15000
3.	कंघा	3	2000	6000
4.	शेड लाठी	8	500	4000
5.	भंडारण बॉक्स (ट्रंक)	2	5000	10,000
6.	पिट लूम	10	1500	15000
7.	केंची	2 जोड़ी	1500	3000
8.	हथौड़ा	5	200	1000
9.	इंच टैप	3	5	15

	 कुल पूं	 जी लागत		2,09,015
10.	कुर्सी और मेज	रास	रास	5000

बी। आवर्ती लागत

1. कालीन

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रु.)	राशि (रु.)	अपेक्षित उत्पादन मात्रा
1.	कच्चा माल (ताना) (ताना)	किलो ग्राम	50	450	22,500	10 कालीन
	कच्चा माल (बाना)(बाना)	किलो ग्राम	90	650	58500	
	बहुरंगी डिज़ाइन की लागत	किलो ग्राम	80	650	52000	
2.	वार्पिंग मशीन का खर्च	नहीं।	3	100	300	
	कुल				1,33,5 0 0	

2. कुर्सी कालीन

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रु.)	राशि (रु.)	अपेक्षित उत्पादन मात्रा
1.	कच्चा माल (ताना) (ताना)	किलो ग्राम	15	450	6750	5सेट कुर्सी कालीन
	कच्चा माल(बाना)(बाना)	किलो ग्राम	25	650	16250	

	बहुरंगी डिज़ाइन की लागत	किलोग्राम	25	650	16250	
2.	वार्पिंग मशीन का खर्च	नहीं।	3	100	300	
	कुल				39550	

3. वाहन कालीन

क्रमांक	विवरण	इकाई	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रु.)	राशि (रु.)	अपेक्षित उत्पादन मात्रा
1.	कच्चा माल(ताना) (ताना)	किलो ग्राम.	15	450	6750	5 वाहन कालीन सेट
	कच्चा माल(बाना)(बाना)	किलो ग्राम	25	650	16250	
	बहुरंगी डिज़ाइन कीलागत	किलो ग्राम	25	650	16250	
2.	वार्पिंग मशीन का खर्च	नहीं।	3	100	300	
	कुल				39550	

क्रमांक	विवरण	कीमत	कुल राशि (रु.)
1	कमरे का किराया और बिजली	3000	3000
2	पैकिंग सामग्री और भंडारण बॉक्स	7000	7000
3	माल ढुलाई शुल्क (कच्चा माल	3000	3000

	और अंतिम उत्पाद)			
4	अन्य (स्थिर, परिवहन, मशीन	1500	1500	
4	मरम्मत)			
कुल आ	वर्ती लागत (बी)			227,050
	आवर्ती व्यय = कुल आवर्ती-श्र	म मजदूरी		69550
	आवर्ती व्यय = कुल आवर्ती-श्रग =227,050-157		•	69550
	_	,500 <u> </u>	•	69550 2,78,565

7. महीने में कुल उत्पादन और बिक्री राशि

चूंकि यह एसएचजी में उनके नियमित घरेलू काम के अलावा एक अतिरिक्त गतिविधि है, इसलिए परिणाम प्रत्येक सदस्य के काम के घंटों के अनुपात में होगा। हमेशा शुरुआत में उत्पादन को रूढ़िवादी पक्ष पर रखना बेहतर होता है जिसे हमेशा समय बीतने और कार्य अनुभव के साथ बढ़ाया जा सकता है।

सी)	कुल बिक्री			
क्रमांक	विशिष्ट	मात्रा	दर (रु.)	राशि (रु.)
1	पूर्ण डिजाइन गैलिचा (कालीन)	12	25000	300000
2	कुर्सी कालीन	5	8000	40000
3	वाहन कालीन	5	8000	40000
	कुल (सी)			380000

विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान (75%)	एसएचजी योगदान (25%)
कुल पूंजी लागत	209015	1,56,761	52,254
आवर्ती लागत			
प्रति माह अन्य व्यय	69550	-शून्य-	69550
कुल	2,78,565	156761	1,21804

एक माह में कुल बिक्री = 380000 पहले महीने में कुल व्यय = 278565 हालांकि, 156761 रुपये की राशि परियोजना सहायता है इसलिए गणना के उद्देश्य से इस राशि को व्यय कॉलम से सुरक्षित रूप से घटाया जा सकता है और शुद्ध आय को फिर से फिर से डाला जा सकता है। इसके अलावा SHG के सदस्य सामूहिक रूप से काम करेंगे इसलिए उनकी मजदूरी को ध्यान में नहीं रखा गया है। महीने के अंत में शुद्ध आय को निम्नानुसार फिर से डाला जाता है:

<u>पूंजीगत लागत</u>		
विवरण	मात्रा	एसएचजी योगदान
पूंजीगत लागत	209015	52254
<u>आवर्ती व्यय</u>		
i) प्रति माह पूंजीगत लागत पर 10% मूल्यहास	2090	
i) सामग्री लागत आदि पर अन्य व्यय।	69,550	
कुल	71,640	
कुल लागत	71254+71460=142894	
पहले महीने में कुल बिक्री	3,80000	
शुद्ध लाभ	237106	

8. लाभ का बंटवारा

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने आपसी सहमित से यह निर्णय लिया है कि प्रथम माह में प्रत्येक सदस्य को 15000 रुपये आय के रूप में दिए जाएंगे तथा शेष 87106 रुपये का लाभ उनके बैंक खाते में आपातकालीन आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

9. समूह में निधि प्रवाहः

क्रमांक।	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	209015	1,56,761	52,254
2	कुल आवर्ती लागत	227015	0	227,015
3	प्रशिक्षण	100000 (2 प्रशिक्षण) के लिए)	1,00,000	0
	कुल परिव्यय	5,36,030	2,56,761	2,79,269

टिप्पणी-

- पूंजीगत लागत -कुल पूंजीगत लागत का 75% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा
- आवर्ती लागत- पूरी लागत का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा।एसएचजी/सीआईजी.

• प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन – कुल लागतपरियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

8. धन के स्रोत और खरीद:

परियोजना समर्थन;	 पूंजीगत लागत का 75% हिस्सा मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि परिक्रामी निधि के रूप में जमा की जाएगी। प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत। 	सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद मशीनों की खरीद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी।
एसएचजी योगदान	 पूंजीगत लागत का 25% हिस्सा स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी 	

9. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी। निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- टीम वर्क
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग और विपणन
- वित्तीय प्रबंधन

10.ऋण चुकौती अनुसूची-

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए।
 ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- साविध ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

11. निगरानी विधि-

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा सिमित आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी
 तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक
 कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा
 यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के
 अनुसार सुनिश्चित हो सके।

12.टिप्पणी

समूह सदस्यों की तस्वीरें-






















हाउस ऑफ इंटरेस्ट के नियमों की सूची

- 1. समूह कार्य: हथकरघा;
- 2. समूह का पता: वीपीओ हांगो तहसील- पूह जिला- किन्नौर हिमाचल प्रदेश।
- 3. समूह के कुल सदस्य: 10
- 4. प्रथम समूह बैठक की तिथि: 1.08.2022
- 5. समूह में प्रत्येक 50 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लगेगा।
- 6. समूह की मासिक बैठक प्रत्येक माह की पहली तारीख को आयोजित की जाएगी।
- 7. समूह के सभी सदस्य प्रतिमाह बचत की गई राशि समूह में जमा करेंगे।
- 8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्यों को उपस्थित होना होगा।
- 9. स्वयं सहायता समूह का खाता खोला जाएगा।
- 10. समूह बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रधान एवं सचिव को उचित कार्य बताकर अनुमति लेनी होगी।
- 11. समूह में जो व्यक्ति बचत की राशि जमा नहीं करेगा या 3 बैठकों तक समूह से अनुपस्थित रहेगा तो उस व्यक्ति को समूह से हटा दिया जाएगा।
- 12. जो व्यक्ति बिना कारण बताए समूह में उपस्थित रहेगा तो अगली बैठक उसी व्यक्ति के घर पर होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को स्वयं देना होगा, यदि दो सदस्य हैं तो खर्च मिलकर देना होगा।
- 13. स्वयं सहायता समूह के प्रधान एवं सचिव का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाएगा।
- 14. प्रधान एवं सचिव बैंक से लेन-देन कर सकेंगे, यह पद एक वर्ष के लिए वैध रहेगा।
- 15. मुखिया, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे तथा सदैव समूह की राशि का ही उपयोग करेंगे।
- 16. यदि सदस्य किसी कारणवश समूह छोड़ना चाहता है, यदि इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापस करना होगा, तभी वह समूह छोड़ सकता है अन्यथा नहीं
- 17. बैठक में ऋण का उद्देश्य, राशि की वापसी का समय, ऋण की किस्त तथा ब्याज दर तय की जाएगी।
- 18. आपातकालीन स्थिति में प्रधानाचार्य एवं सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये होने चाहिए।
- 19. स्वयं सहायता समूह का रजिस्टर सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए।
- 20. बड़े उधारकर्ताओं को एक सप्ताह पहले सूचना देनी होगी।
- 21. जरूरत के समय सभी सदस्यों को ऋण उपलब्ध होना चाहिए।
- 22. यदि सदस्य बिना किसी कारण के ग्रुप छोड़ना चाहे तो उस सदस्य की जमा राशि ग्रुप में बांट दी जाएगी।
- 23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट हर माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (मलिंग रेंज किन्नौर डिवीजन) के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।



समूह का सहमती पत्र

आज दिनांक रिकि 2028 सारा स्वयं सहायता समूह हागों में बैठक हुई यह बैठक प्रधान श्रीमती केसंग आंगमों के अध्यक्षता में हुई। आज बैठक में यह निर्णय लिया कि जायका वन विमाग की तरफ से जो धन राशि मिलेगी। उसका उपयोग गलीचा बनाना सिखने के लिए किया जाएगा। जिसके लिए सभी सदस्यों की सहमती प्रकट की और इस बैठक में सभी सदस्यों ने मांग लिया।

प्रधान Kesama तारा स्वयं समावता समूह हंगमत, ज़िला किन्नीर हि.य. समूह के प्रधान के हस्ताक्षर सियव <u>चित्र</u> तारा स्वर्थ सहायता समूह हंगमत, ज़िला किन्नीर हि.प्र समूह के सचिव के हस्ताक्षर Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods

Memorandum of Understanding

Between

The Forest Department (represented by DFO Kinney). For Participatory Forest Management.

Whereas

- The William Forest Development Society/ BMC Sub-Committee (hereinafter caused "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, and Forest Division Committee (hereinafter caused Executive Committee (hereinafter caused EC"),
- as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called -Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division
- the Plan contains details of program for conservation, management and development of
 forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the
 description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and
 public resources of the ward/village;
- the Plan has been approved by the Officer in Charge of the Forest Division (here-in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with

The Kinnouy..... Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently. This MoU is executed with the following articles;

1. Purpose of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding (hereinafter called -Man details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest areas) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable distribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

Responsibilities of the Society

With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.

The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is

no dispute regarding areas of common use of nearby villages.

2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.

2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement

them according to the relevant standards as applicable.

2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are being violated.

2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.

2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, and illicit transport. Illicit mining, encroachments and

poaching and shall help the forest department in this regard.

2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in banning the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.

2.9 The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the

Forest Officer/monitoring agency.

2.10 The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.

2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and

in prescribed formats.

2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the



2.13. Society agrees to ensure that there will be no miss utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.

2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).

2.15 The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for VFDS under the Project.

3. Responsibilities of the Forest Department

3 1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.

3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)

3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.

3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.

3.5 The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.

3.6 Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

4. Support by the Project

4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.

42. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.

4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.

4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

- 25. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation. Biodiversity conservation etc..willbecredited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan)of VFDS/BMC (Sub-Committee).In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihoods activity.
- 4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of the Society. Society will further distribute fund similarly.
- Rights and Benefit Sharing
- 5.1. The Rights of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected due to constitution of the Society and will continue to be exercised as
- 5.2. The Benefits which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are as
 - i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, lopping, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non-timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;
 - ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;
 - iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;
 - iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;
 - v) after 5 years. the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas:
 - vi) to utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.
- provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit. The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling.
 - whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001,
- 6. Monitoring & Evaluation
- Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including 6.1 by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.
- The EC of VEDS/BMC (Sub-Committee) or any of its members will monitor progress 6.2. and quality of work during execution of various works. The Member Secretary will record the date, places and names of EC members who checked the work(s) and whether works were satisfactory and any instructions given.

- A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.
- 6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for thatactivity.
- 6.5. Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfill conditions mentioned in Para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the

works of the Committee every year.

I Rad Korray President, Long O Joint VFDS/BMC

(Sub-committee), declare on behalf of the Society, that I am committed to after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and I understand their original meaning.

(Name and Market of the President)
On behalf of VFDS BMC (Sub-committee)

Mu Officer cumbivisional Forest Division, At R/Peo Divisional Forest Officer Kinnaur Forest Officer

On behalf of HPFD)

Witness: Village Forest Development Society /BMC(Sub-committee) and the Forest Department for Participatory Forest Management.

- 1. कामला देवी
- 3. भूभुलीत
- 4.

1 -----, (Position) undertake, on behalf of Kinnaur Division Forest Department to implement all duties responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

Range Forest Officer Malling Range

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalf of Kinnaur Forest Department.

Kinnaur Forest Division
At R/Peo

Business Plan Approval by VFDS &DMU Self help group will undertake the Carpet As livelihood generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems & management & livelihood (JICA Assisted). In this regard business plan of amount (Rs.) 2,09,015 has been submitted by this group on dated and this business plan has been approved by transport VFDS. Business Plan with SHGresolutions being submitted to DMU through FTU for further action, please. Thankyou VFDS (JICA) Hango PEGFERANNAUT (H.P.) VFDS (JICA) Hango Distt. Kinnaur (H.P.) Distt. Kinnaur (H.P.) Signature of VFDS Secretary Signature of VFDS Pradhan Dy. Range, Distt. Kinnaul (M.P.) Malling Range, Distt. Kinnaul (M.P.) Signature of Block forest officer Signature of Range Forest officer Porest Rouse Walling.

DMU -cum-

Deputy conservator forests, Kinnaur Division at R/Peo

Resolution -cum-group consensus form

It is decided in the general house meeting of the larger at larger as livelihood income general improvement of Himachal Pradesh.	ne Self Help Group
Forest Ecosystem Management & Livelihoods. ((JICA Assisted.)
स्थान स्टिश्या सम्बद्धाः स्थानाः स्	सचिव चिट्टी के तारा हैं हममत, ज़िला किलीर 10
Signature of Group Pradhan	Signature of Group Secretary